नई दिल्ली, शुक्रवार
23 सितंबर, 2022
नोएडा
मूल्य ₹ 4.00
पृष्ठ 22+6=28

दैनिक जागरण

www.jagran.com
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंची भारतीय मुद्रा 10
ब्रिटिश विदेश मंत्री से मिलकर जयशंकर ने भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई 15

क्रेडाई अध्यक्ष ने प्राधिकरण के समक्ष रखीं मांगें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को क्रेडाई के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान क्रेडाई के दिल्ली-एनसीआर के अध्यक्ष व गौड़ समूह के मुख्य महाप्रबंधक मनोज गौड़ ने बिल्डरों से संबंधित कई बिंदुओं को रखा।

मनोज गौड़ ●

मनोज गौड़ ने बताया कि बैठक में प्राधिकरण से अनुरोध किया ग्रेटर नोएडा में भी नोएडा के समान ग्राउंड कवरेज 50 प्रतिशत किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने का समय मैप अनुमोदन के बाद माना जाए , मानचित्र अनुमोदन के लिए एक वर्ष की अनुमति दी जाए, ग्रैप को ध्यान में रखते हुए तीन वर्ष तक के लिए 14 महीने का समय जोड़ा जाए। दरअसल ग्रैप लागू होने के कारण दो महीने किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाता, जिस कारण परियोजना में देरी होती है। इस अनुसार कुल अवधि पांच वर्ष दो महीने होनी चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट को बकाया राशि से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही अनुरोध किया कि तीनों प्राधिकरणों के नियमों में एकरूपता होनी चाहिए। इसके अलावा क्रेडाई एनसीआर ने प्राधिकरण से एन्क्युमब्रेन्स फ्री प्लाट को प्रकाशित करने का अनुरोध किया है और नीलामी से पहले सभी भूखंडों की सीमा और संख्या को चिह्नित करने को कहा। समय विस्तार की जो राहत दी जा रही है उसे राहत पुराने आवंटनों पर भी लागू किया जाना चाहिए।